Estd : 1917

पटना विश्वविद्यालय

Patna University

NAAC Accredited B'

पत्रांक विद्वत / 179 / अ.कु.श्र / 1815 दिनांक :- 25-01-24

सेवा में,

1. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय।
2. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय।
3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय।
4. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय।
5. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय।

विषय :- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों मे पठन–पाठन बेहतर करने एवं संचालन को प्रभावी बनाने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 15 / एम 1 230 / 2023 4655 दिनांक 16.12.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि इस पत्र मे वर्णित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा करें।

संलग्नक – उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 23.01.24

उपकुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक विद्वत / 179 / अ.कु.श्र / 1815 (A) दिनांक – 25-01-24

प्रतिलिपि (1) प्रोफेसर प्रभारी, आई० टी० सेल, पटना विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), (2) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य कार्यालय, पटना विश्वविद्यालय, (3) कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के सचिव, पटना विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.01.24

उपकुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

AL/3666/2023-SEC_15-EDU DEPT

/96349/2023

1925

पत्रांक 15/एम 1-230/2023 – 4655

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 16.12. 2023

विषय: विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पठन–पाठन बेहतर करने एवं संचालन को प्रभावी बनाने हेतु दिशा–निदेश।

महाशय,

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पठन–पाठन बेहतर करने एवं संचालन को प्रभावी बनाने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं :-

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार इण्टरेक्टिव पैनल किराये पर लगवाने की कार्रवाई की जाय ताकि पठन–पाठन सुगम हो। इसके साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त की जाएं।
2. विभागों एवं महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर सेट्स किराये पर लिये जाय।
3. विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की जाय। इस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर लगवाया जाय।
4. उपरोक्त व्यवस्थाओं पर आनेवाले व्यय को पूर्व से निर्धारित मद में प्राप्त राशि से किया जाय या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध आंतरिक स्रोत की राशि से किया जाय।
5. जो भी शिक्षक या गैरशिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं उनके उक्त तिथि/तिथियों का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा स्पष्टीकरण के फलाफल पर अंतिम निर्णय होगा।

   यदि कोई शिक्षक/गैरशिक्षक अवकाश में हैं तो इसका मतलब यह होगा कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में लिखित आवेदन उपलब्ध है एवं उसे स्वीकृत कर संबंधित के उपस्थिति कॉलम में "आकस्मिक अवकाश" अंकित करते हुए आकस्मिक अवकाश की पंजी में अंकित किया जा चुका है। दूरभाष पर प्राप्त अनुरोध या वॉट्सएप्प आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्र मान्य नहीं होंगे।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध कूड़ा–कबाड़ा या पूर्णतः अनुपयोगी समान का नियमानुसार निष्पादन यथाशीघ्र पूर्ण किया जायगा।
7. विश्वविद्यालयों के प्रत्येक समभाग में जिसमें प्रयोगशाला हो तथा महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं में प्रतिविषय प्रतिदिन कम–से–कम 02 कक्षाएं प्रयोगशाला में आयोजित की जाएगी।
8. उक्त निदेशों पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Signed by Rekha Kumari
Date: 16-12-2023 15:18:30

निदेशक, उच्च शिक्षा

SO Acad

22/12/23

22/12/23